

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/स्थाईकरण/अजमेर/ए-547/2019/

दिनांक:

-: आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक 60 दिनांक 10.02.2016, 72 दिनांक 03.02.2017, 230 दिनांक 09.08.2016, 229 दिनांक 09.08.2016 के द्वारा निम्न का नर्स द्वितीय के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्तिया प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित करते हुये इन्हे परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (सशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स द्वितीय के पद की पै मेट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र. स.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात् परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	विमला रावत	अजमेर	05.09.1988	08.02.2017	07.02.2019	08.02.2019
2	यशोधरा देवी राठौड़	अजमेर	09.11.1988	11.02.2016	10.02.2018	11.02.2018
3	अंजू जाबा	अजमेर	25.03.1974	11.02.2016	10.02.2018	11.02.2018
4	महेन्द्र सिंह	अजमेर	01.04.1991	16.08.2016 मध्याह्न पश्चात्	16.08.2018	17.08.2018

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 12-04-19

क्रमांक: नर्सिंग/नर्स-2/स्थाईकरण/अजमेर/ए-547/2019/423

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- अजमेर।
2. उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ईएसआई योजना, लक्ष्मीनगर अजमेर रोड, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक 1796 दिनांक 02.11.2018 के क्रम में भेजकर लेख है कि ममता मीणा व रिकु बाई मीणा की प्रथम नियुक्ति तिथि क्रमशः 10.08.2018 एवं 26.08.2018 अंकित की है के संबंध में सही प्रथम नियुक्ति तिथि अंकित कर प्रस्ताव भिजवावे साथ ही जन्म तिथि भी अंकित करें।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, ब्यावर अजमेर।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कराबी औषधालय नंबर 2, अजमेर।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर